<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082025-265524 CG-DL-E-19082025-265524

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 518] No. 518]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 19, 2025/श्रावण 28, 1947 NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 19, 2025/SHRAVANA 28, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2025

सं. 28/2025-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.िन. 562(अ).— जहां कि यूरोपीय संघ और सऊदी अरब में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "टोल्यून डाई-आइसोसाइनेट (टीडीआई)" (एतद्पश्चात विषयगत वस्तु के रूप में उल्लिखित) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2929 10 20 के अंतर्गत आता है, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 28/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 27 अप्रैल, 2021, जिसे सा.का.िन. 297 (अ), दिनांक 27 अप्रैल, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतद्पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/14/2024-डीजीटीआर, दिनांक 30 दिसम्बर, 2024, जिसे दिनांक 30 दिसम्बर, 2024

5534 GI/2025 (1)

को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 28/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 27 अप्रैल, 2021, जिसे सा.का.नि. 297 (अ), दिनांक 27 अप्रैल, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, इसमें निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस अधिसूचना के तहत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क दिनांक 1 मार्च, 2026 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है, लागू रहेगा।"।

[फा. सं. सीबीआईसी-190349/32/2025-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी] धीरज शर्मा. अवर सचिव

नोट:-प्रधान अधिसूचना संख्या 28/2021-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 27 अप्रैल, 2021, जिसे सा.का.िन. 297(अ) दिनांक 27 अप्रैल, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2025

No. 28/2025-Customs (ADD)

G.S.R. 562(E).— Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/14/2024-DGTR, dated the 30th December, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, section 1, dated the 30th December 2024, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of "Toluene Di-Isocyanate (TDI)" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff item 2929 10 20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from European Union and Saudi Arabia (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 28/2021-Customs (ADD), dated the 27th April, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 297(E), dated the 27th April, 2021, and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 28/2021-Customs (ADD) dated, the 27th April, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 297(E), dated the 27th April, 2021, namely:-

In the said notification, after paragraph 2 and before the *Explanation*, the following paragraph shall be inserted, namely-

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 1st March, 2026, unless revoked, superseded or amended earlier."

[F. No. CBIC-190349/32/2025-TRU Section-CBEC]
DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 28/2021-Customs (ADD) dated, the 27th April, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 297(E), dated the 27th April, 2021.